

आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 299/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच.डी.बी.फाईनेन्सिएल सर्विसेज लि. रजिस्टर्ड कार्यालय राधिका, सेकिण्ड फ्लोर, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009 एवं शाखा कार्यालय 3, पार्क स्ट्रीट, प्रथम मंजिल, पिक सिटी पेट्रोल पंप के सामने, बनीपार्क, जयपुर, राज.

- प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मेसर्स शुभलक्ष्मी बेकरी एण्ड फास्ट फूड,  
1. पता:- रायत पनाजा, चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।  
2. पता:- शॉप नम्बर बी-7, ग्राउण्ड फ्लोर, चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।  
3. पता:- शॉप नम्बर 8, प्रथम फ्लोर, चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. मधु विजय,  
पता:- जैन मन्दिर के पास, नया बाजार, त्रिपोलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. विकास बाबू विजय,  
पता:- जैन मन्दिर के पास, नया बाजार, त्रिपोलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान।

-अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री हितेश सेन अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश

दिनांक 22.02.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.07.2019 पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी विकास बाबू विजय ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति शॉप नम्बर बी-7, ग्राउण्ड फ्लोर, तहसील चौमूं जिला जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 14.49 वर्गगज एवं शॉप नम्बर बी-8, प्रथम फ्लोर, तहसील चौमूं जिला जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल 15.33 वर्गगज को बंधक कर कुल 30,00,000/-रुपये अक्षरे तीस लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपरिथत नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकृत को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली, 05 अगस्त 2016 को सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्तिया बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 35,43,738.81/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी विकास बाबू विजय की स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति शॉप नम्बर बी-7, ग्राउण्ड फ्लोर, तहसील चौमूं जिला जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 14.49 वर्गगज एवं शॉप नम्बर बी-8, प्रथम फ्लोर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान, क्षेत्रफल 15.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (जयपुर विभाग)  
 जिला रजिस्ट्रार  
 (कलक्टर) जयपुर